will complete the work. Sir, there is no money. There is no will. The State Government and the Central Government are deliberately adopting this attitude because this is a Tribal State!

SHRI A. RAJA: Sir, the Government is fully committed to complete the work. There is no deviation. There is no departure. Sir, in the year 2000-2001, Rs. 15 crores were allocated to start the work. In the year 2001-2002, Rs. 29 crores were allocated. Sir, it has been assured that all the work will be completed by 2005. *(Interruptions)*. Sir, in my reply I have stated that the project is expected to be completed by May 2005.

Still, we are sure that before May, 2005, it will be completed, of course, provided there are no hurdles in the construction work. I invite the hon. Members of that area to cooperate with us and sort out the issues that are there.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हिन्दी का प्रयोग

523. **श्री बालकवि बैरागी:** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हिंदी में किए जा रहे कार्य के आंकलन के लिए विभाग की डिवीजनों, सर्किलों एवं उप-डिवीजनों में निर्माण महानिदेशालय द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 तथा 2001 में अब तक किस-किस तारीख को निरीक्षण किए गए और ये निरीक्षण किन-किन कार्यालय में किए गए;

(ग) क्या निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गई है;

(घ) क्या अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) ब्यौरे विवरण में हैं (नीचे देखिए)।

(ग) जी हां, निर्धारित निरीक्षण प्रोफार्मा में रिपोर्ट भरकर विधिवत् हस्ताक्षर के साथ, संबंधित कार्यालयों को भेज दी गई है।

(घ) अनुपालन रिपोर्टें बराबर प्राप्त हो रही हैं।

(ङ) निरीक्षण किये गये कार्यालयों में राजभाषा विभाग द्वारा जारी हिन्दी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित अधिसंख्य कार्यमदों में 100% अनुपालन पाया गया है। जिन क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग में सुधार की आवश्यकता है, उन्हें दर्शाते हुए, सभी संबंधित कार्यालयों को इस मंत्रालय वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

विवरण

के॰ लो॰ नि॰ वि॰ के कार्यालयों में वर्ष 2000-2001 (अब तक) के दौरान निर्माण महानिदेशालय द्वारा किए गए निरीक्षण की तिथियों तथा ऐसे कार्यालयों के नामों का ब्यौरा

वर्ष 2000 व 2001 (अब तक) के दौरान निर्माण महानिदेशालय द्वारा किये गये निरीक्षण

क्रम संख्या	निरीक्षित कार्यालयों के नाम, स्थान	निरीक्षण की तारीख
1	2	3
1.	कानपुर केन्द्रीय मंडल, कानपुर	10.1.2000
2.	कानपुर केन्द्रीय वैद्युत मंडल, कानपुर	10.1.2000
3.	मुख्य इंजीनियर (उ॰अं॰3) जयपुर	26.6.2000
4.	जयपुर केन्द्रीय परिमंडल, जयपुर	26.6.2000
5.	जयपुर केन्द्रीय वै॰ परिमंडल, जयपुर	26.6.2000
6.	जयपुर केन्द्रीय मंडल-1, जयपुर	27.6.2000
7.	जयपुर केन्द्रीय मंडल-2, जयपुर	27.6.2000
8.	जयपुर केन्द्रीय वै॰ मंडल, जयपुर	27.6.2000
9.	मुख्य इंजीनियर (वै॰ द॰अं॰), चेन्नै	12.7.2000
10.	अहमदाबाद केन्द्रीय परिमंडल, अहमदाबाद	8.8.2000
11.	अहमदाबाद केन्द्रीय परिमंडल, गांधीनगर	9.8.2000
12.	गांधीनगर केन्द्रीय परिमंडल, गांधीनगर	9.8.2000
13.	अहमदाबाद केन्द्रीय वै॰ मंडल, गांधीनगर	9.8.2000
14.	भोपाल केन्द्रीय परिमंडल, भोपाल	9.10.2000

1	2	3
15.	भोपाल केन्द्रीय वैद्युत, परिमंडल, भोपाल	9.10.2000
16.	भोपाल केन्द्रीय मंडल-1, भोपाल	10.10.2000
17.	भोपाल केन्द्रीय वै॰ मंडल, भोपाल	10.10.2000
18.	मुख्य इंजीनियर (केरीय अंचल), भोपाल	10.10.2000
19.	इंदौर केन्द्रीय परिमंडल, इंदौर	11.10.2000
20.	इंदौर केन्द्रीय मंडल-1, इंदौर	11.10.2000
21.	इंदौर केन्द्रीय मंडल-2, इंदौर	12.10.2000
22.	इंदौर केन्द्रीय वै॰ मंडल, इंदौर	12.10.2000
23.	देवास केन्द्रीय मंडल, देवास	13.10.2000
24.	मुख्य इंजीनियर (द॰अं॰)-1, चेन्नै	14-15.10.2001
25.	मुख्य इंजीनियर (वै॰) (द॰अं॰), चेन्नै	16.2.2001
26.	चेन्नै केन्द्रीय परिमंडल-1, चेन्नै	19.2.2001
27.	चेन्नै केन्द्रीय परिमंडल-2 चेन्नै	20.10.2001
28.	अधीक्षण इंजीनियर (योजना), चेन्नै	22.2.2001
29.	वरिष्ठ वास्तुक-1, चेन्नै	23.2.2001
30.	वरिष्ठ वास्तुक-2, चेन्नै	23.2.2001
31	अपर महानिदेशक (द॰क्षे॰), चेन्नै	22.2.2001

Use of Hindi in CPWD

†*523. SHRI BALKAVI BAIRAGI: Will the Ministwet of URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) whether inspections are carried out in the divisions, circles and sub-divisions by the Directorate of Works in the Central Public Works Department to assess the work being done in Hindi;

(b) if so, the dates on which inspections were carried out in the years 2000 and 2001, so far, together with the names of the offices where these inspections were carried out;

(c) whether the inspection report has been sent;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(d) whether the compliance report has been received; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI JAGMOHAN): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Details are at Statement (*See* below).

(c) Yes, Sir. Reports contained in prescribed inspection proforma duly signed have been sent to concerned offices.

(d) Compliance reports are being received regularly.

(e) In the inspected offices, there is 100% compliance of most of the items prescribed in the annual programme of use of Hindi issued by the Department of Official Languages. Instructions have been issued by this Ministry to all concerned offices pointing out areas where there is need for improvement in the use of Hindi.

Statement-I

Details of the dates of OL inspections in CPWD offices in 2000-2001 till date alongwith the names of such offices

Sl. No.	Date of O.L. Inspections in 2000 & 2001 (till date)	Name of the Office with place inspected
1	2	3
1.	10.1.2000	Kanpur Cent. Division, Kanpur
2.	10.1.2000	Kanpur Cent. Elec. Division, Kanpur
3.	26.6.2000	Chief Engineer (NZ)-III, Jaipur
4.	26.6.2000	Jaipur Cent. Circle, Jaipur
5.	26.6.2000	Jaipur Cent. Elec. Circle, Jaipur
6.	27.6.2000	Jaipur Cent. Div.-I, Jaipur

1	2	3
7.	27.6.2000	Jaipur Cent. Div.-II, Jaipur
8.	27.6.2000	Jaipur Cent. Elec. Div., Jaipur
9.	12.7.2000	Chief Engineer (Elect) (SZ), Chennai
10.	8.8.2000	Ahmedabad Cent. Divn., Ahmedabad
11.	9.8.2000	Ahmedabad Cent. Circle, Gandhi Nagar
12.	9.8.2000	Gandhi Nagar Cent. Div., Gandhi Nagar
13.	9.8.2000	Ahmedabad Cent. Elec. Divn., Gandhi Nagar
14.	9.10.2000	Bhopal Cent. Circle, Bhopal
15.	9.10.2000	Bhopal Cent. Elec. Circle, Bhopal
16.	10.10.2000	Bhopal Cent. Divn.-I, Bhopal
17.	10.10.2000	Bhopal Cent. Elec. Div., Bhopal
18.	10.10.2000	Chief Engineer (Cent. Zone), Bhopal
19.	11.10.2000	Indore Cent. Circle, Indore
20.	11.10.2000	Indore Cent. Division-I, Indore
21.	12.10.2000	Indore Cent. Division-II, Indore
22.	12.10.2000	Indore Cent. Elec. Division, Indore
23.	13.10.2000	Dewas Cent. Division, Dewas.
24.	14-15.2.2001	Chief Engineer (SZ)-I, Chennai
25.	16.2.2001	Chief Engineer (Elec.) (SZ), Chennai
26.	19.2.2001	Chennai Cent. Circle-I, Chennai
27.	20.2.2001	Chennai Cent. Circle-II, Chennai
28.	22.2.2001	Suptd. Engineer (Planning), Chennai
29.	23.2.2001	Senior Architect-I, Chennai
30.	23.2.2001	Senior Architect-II, Chennai
31.	22.2.2001	Additional Director General (SR), Chennai

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, जो लिखित उत्तर मंत्री जी ने दिया है, उस से मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपको यह पता होना चाहिए और शायद आप जानते भी हैं कि दिल्ली इस देश की राजधानी है और 'क' क्षेत्र में आती है और यहां पर राजभाषा लागू होने का प्रावधान है। इसलिए केन्द्रीय सरकार का शतप्रतिशत काम हिंदी में होना चाहिए। आपने 10 जनवरी, 2000 से लेकर 22.2.2001 तक मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि आपके यहां से 31 निरीक्षण हुए हैं। इन 31 निरीक्षणों में क्या कारण है कि दिल्ली के किसी भी कार्यालय का कोई भी निरीक्षण आपके अधिकारियों ने नहीं किया है? क्या उनके ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध था जिससे कि वे निरीक्षण करने से कतरा गए या टाल गए?

प्रश्न 'ब' जैसा आपने बताया कि इन 31 निरीक्षणों में धारा-3(3) और धारा-8(4) का उल्लंघन किन-किन निरीक्षणों में पाया गया और आपने उनके ऊपर क्या कार्यवाही की।

श्री जगमोहन: सो फार एज दि यार्ड स्टिक। जो यार्ड स्टिक है वह यह है कि जो क्वेश्चन आपने किया है वह सीपीडब्लूडी के डायरेक्टोरेट आफ वर्क्स के बारे में है और सीपीडब्लूडी के डायरेक्टोरेट आफ वर्क्स के बारे में जो क्राइटेरिया है कि वह यह है कि कम से कम दस इन्स्पैक्शन्स होने चाहिएं। हमने बताया है कि 31 इन्स्पैक्शन्स हुए हैं। दस का फीगर आल ओवर इंडिया का है और जो यार्ड स्टिक है उसमें 10 होने चाहिएं और 'ए' में 20 परसेंट रीजन वाइज। दिल्ली और जो बाकी हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स जैसे बिहार आदि हैं, उनमें 20 परसेंट करने चाहिएं और 'ए' में जो इन्स्पैक्शन हुए हैं, वे 20 परसेंट हुए हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति महोदय, विडम्बना यह है कि सवाल में भी अंग्रेजी के शब्द हैं और जवाब में भी अंग्रेजी के ही शब्द हैं, केवल हिंदी में बोल रहे हैं अंग्रेजी के शब्दों को।

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति जी, मेरा ऐसा अंदाजा है कि गौतम जी ने मेरा सवाल नहीं पढ़ा है। गौतम जी ने जो सवाल उठाया है, मैंने उसी भाषा में पूछा है कि जिस भाषा में कम से कम सरकार समझती है। ....(**व्यवधान**)... मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दिल्ली में निरीक्षण आप कब तक करवा लेंगे क्योंकि दिल्ली में हम लोग रहते हैं और आपके विभाग सीपीडब्लूडी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी, अधिकारी जो हमारे पास हमारे अपने प्रपत्र भी लाते हैं वे अंग्रेजी में ही लाते हैं और हमसे कहते हैं कि साहब आप इस पर अंग्रेजी में दस्तखत कर दोगे तो हम थोड़ा बच जाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर दूसरा एक्शन हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप यह दिल्ली में कब तक लागू कर देंगे? कम से कम इतना तो आश्वासन दे दें कि दिल्ली में आप इसे लागू कर देंगे।

श्री जगमोहन: दिल्ली में लागू जरूर किया जाएगा और हो भी रहा है। जैसा मैंने कहा कि इन्सट्रक्शन्स ये हैं कि जो हिन्दी का लैटर हो, उसका जवाब हिन्दी में दिया जाए और जो अंग्रेजी का लैटर हो उसका जवाब अंग्रेजी में दिया जाए और 100 परसेंट इसमें एचिवमेंट है।

श्री सभापति: यह निरीक्षण का सवाल है।

श्री बालकवि बैरागी: मैंने आज तक कोई पत्र अंग्रेजी में लिखा ही नहीं है। मेरे पत्रों के उत्तर हिंदी में नहीं आते हैं, अंग्रेजी में उत्तर आते हैं। मैं तो हिन्दी में लिखता हूं लेकिन वे मुझसे भी उम्मीद करते हैं कि मैं उनको अंग्रेजी में लिखा पढ़ी करके थोड़ा सा उनको ठीक रखूं। वे मुझे ठीक कर रहे हैं, आप सरकार को ठीक कर रहे हैं। भगवन, कुछ तो भरोसा दिला दीजिए?

श्री जगमोहन: मैं भरोसा दिलाता हूं।

डा॰ वाई॰ लक्ष्मी प्रसादः सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। संसदीय राजभाषा समिति का उपाध्यक्ष होने के नाते मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जिन क्षेत्रों में हिंदी के काम में सुधार करना है उन्हें वे आदेश दे देंगे, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं परंतु विचित्रता की बात तो यह है कि दिल्ली, जो मुख्यालय है, मंत्रालय है, में 75 प्रतिशत हिन्दी के राजभाषा अधिनियम और राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण रूप से उल्लंघन हो रहा है। इस मंत्रालय में बारह महीने में चार बार हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें होनी हैं लेकिन दुर्भाग्यवश इस मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन अगस्त 2000 में हुआ है और आज आठ महीने होने के बाद भी अभी तक इसकी एक ही बैठक हुई है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इनके मंत्रालय में इस समय 14 हिंदी अधिकारियों और 19 हिंदी अनुवादकों के पद दो साल से खाली पड़े हैं। आपके माध्यम से मैं आदरणीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या ये हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें निश्चित तिथि के अनुसार कम से कम साल में चार बार करेंगे और साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि मंत्रालय में जो पद खाली पड़े हैं उनकी भर्ती कब तक करेंगे और राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत जिन पदों का सृजन करना है उन्हें कब तक करेंगे?

श्री जगमोहनः सभापति जी, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय के बारे में इनका जो ख्याल है कि वह हिंदी को एम्पोर्टेन्स नहीं दे रहा है, ठीक नहीं है क्योंकि हिंदी के यूज के लिए जो दो फर्स्ट प्राइज मिले हैं वे हमारे मंत्रालय को ही मिले हैं। दो से ज्यादा वे नहीं देते इसलिए तीसरा नहीं मिला ...(**व्यवधान**)... आपने समिति के गठन नहीं होने के बारे में कहा तो उसके बारे में बताना चाहता हूं कि उसका गठन हो चुका है और पहले मीटिंग भी हो चुकी है। साल में जो चार मीटिंगें होनी हैं वे मैं करवा दूंगा, इसका मैं आश्वासन देता हूं। जो खाली पद पड़े हैं वे भी भर लिए जाएंगे क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन उनकी भर्ती हो जाएगी ....(**व्यवधान**)...

डा॰ वाई॰ लक्ष्मी प्रसादः हिंदी पदों को भर्ती करने में कोई पाबंदी नहीं है सरकार राजभाषा के प्रति अन्याय कर रही है।

प्रो॰ रामदेव भंडारीः सभापति महोदय, इस देश में अभी तक ऐसे लोग हैं जिनके लिए कह सकते हैं कि अंग्रेज तो चले गए मगर उन्हें छोड़ गए और जिन्हें अंग्रेजी भाषा ही हिंदुस्तानी भाषा लगती है। वे अंग्रेजी में बोलते हैं, खाते हैं, उठते हैं और पीते हैं। हिंदी जिसे संविधान ने 14 सितम्बर, 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, अभी तक यहां के लोग, अंग्रेजीदां लोग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहां कुछ सैंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, इसमें अरबन डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट भी है, यहां के लोग हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के

लिए तैयार नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है कि मंत्री जी ने आज तक एक भी हस्ताक्षर हिंदी में नहीं किया होगा। यहां आप जो इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं — मैं राजभाषा संसदीय समिति से पिछले चार-पांच सालों से जुड़ा हुआ हूं, मैं बताना चाहता हूं कि यहां केवल खानापूर्ति होती है। जब हम इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम: निरीक्षण कहिए.... (**व्यवधान**)

प्रो॰ रामदेव भंडारी: आप जरा सुन लीजिए यहां राजभाषा की बात हो रही है। जब हम इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो ये लोग हमें झूठी खबरें देते हैं। हमें उस समय सब कुछ देखने से मुश्किल होती है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी हमें ईमानदारी से बताएं कि क्या उनकी मानसिकता राजभाषा हिंदी के प्रति सही है? अगर सही मानसिकता है तो इस हाउस को बताएं कि राजभाषा अधिनियम ...(**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम: सदन को... (**व्यवधान**)...

प्रो॰ रामदेव भंडारी: हां, सदन को। इस सदन को बताएं कि अभी तक आपके विभाग में राजभाषा अधिनियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको चुनौती देता हूं आप पता लगाएं कि आपके विभाग में इसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है और कृपा करके हिंदी में हस्ताक्षर करने की सूचना भी दे दें।

SHRI B.P. SINGHAL: Mr. Chairman, Sir, there is an unclaimed brief case lying near the telephone booth in the Inner Lobby. If it belongs to any Member, he should pick it up because it is rather risky.

श्री जगमोहन : मैं आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि आफिशियल लैंग्वेज ऐक्ट के मुताबिक होम मिनिस्ट्री इसको डील करती है। होम मिनिस्ट्री के जो भी आदेश हैं, ऐक्ट के नीचे, रूल्स के नीचे, मिनिस्ट्री उनका पूरा पालन कर रही है और इसके पालन की वजह से ही हमें दो प्राइज़ मिले हैं।... (**व्यवधान**)...

प्रो॰ रामदेव भंडारी : बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। संसद की समिति बनाई जाए जो इनके मंत्रालय में हिन्दी की प्रगति को देखे। इस पर संसद की, राज्य सभा की एक समिति बनाई जाए। वहां पर इसका बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, गलतबयानी कर रहे हैं। आप।

प्रो॰ रामदेव भंडारी : हस्ताक्षर के बारे में मैं इनसे जानना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप यह बता दीजिए कि आप सिग्रेचर हिन्दी में करते हैं या नहीं?

श्री जगमोहन : करता हूं और हिन्दी में ही बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : वे कहते है कि हिन्दी में सिग्नेचर करते हैं।

श्री श्यामलाल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिन्दी के प्रचार के लिए, हिन्दी के कार्य के लिए अंग्रेजी में लिखा जाता है कि हिन्दी में वीक, वर्क इन हिन्दी। तो क्या, मान्यवर आप यह आश्वासन देंगे कि वहां यह लिखा जाए कि हिन्दी में कार्य करें और हिन्दी सप्ताह या हिन्दी दिवस ... **(व्यवधान)**

श्री जगमोहन : मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि यह जो काम है यह होम मिनिस्ट्री का है। यह जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वह इसलिए आया कि यह सीपीडब्लूडी विभाग के बारे में है। आफिशियल लैंग्वेज ऐक्ट होम मिनिस्ट्री डील करती है और जो इंस्ट्रक्शन वह देती है, जो भी कमेटी वह आर्गनाइज करने के लिए कहती है वह हम करते हैं।

श्री श्यामलाल : जब हिन्दी प्रचार के लिए कोई सप्ताह यह पखवाड़ा मनाया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि हिन्दी वीक और वर्क इन हिन्दी। मैंने मंत्री जी से जानना चाहा है कि क्या ये शब्द हिन्दी में लिखे जा सकते हैं?

श्री नरेन्द्र मोहन : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में समस्त कार्य हिन्दी में होने लगा है। क्या उनके पास इसके आंकड़े हैं? विशेषरूप से मैं यह जानना चाहता हूं कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में क्या कोई प्रतिवेदन आपने पहले हिन्दी में तैयार किया है, क्या कोई बिल अभी तक हिन्दी में तैयार किया है, क्या आपने कोई विधेयक हिन्दी में तैयार किया है, क्या कोई स्टेटमेंट आपने पहले हिन्दी में तैयार किया है या कोई वक्तव्य हिन्दी में दिया है?

श्री जगमोहन : सर, आफिशियल लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वह यह है कि बाइलिंग्वल स्टेटमेंट देना चाहिए, बाइलिंग्वल पेपर रखने चाहिए, इन सब बातों का पालन हो रहा है।

श्री नरेन्द्र मोहन : कोई वक्तव्य पहले हिन्दी में तैयार किया है? अंग्रेजी से अनुवाद करा रहे हैं। आप हिन्दी में अनुवाद कराते हैं। आप सदन को गुमराह मत कीजिए। आप हिन्दी को अनुवाद की भाषा मत बनाइए। आप उत्तर दीजिए। आप मुझे उत्तर दीजिए कि क्या आपने कोई वक्तव्य, कोई विधेयक पहले हिन्दी में तैयार किया है?

श्री जगमोहन : मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आदेश आफिशियल लैंग्वेज ऐक्ट के नीचे होम मिनिस्ट्री देती हैं उन आदेशों का पालन हमारी मिनिस्ट्री पूरी तौर पर कर रही है। उसके पालन की वजह से ही हमें आलरेडी फर्स्ट प्राइज़ मिला है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। ....**(व्यवधान)**।

श्री नरेन्द्र मोहन : क्या मंत्री जी ने...

श्री सभापति : आपकी बात मैंने समझ ली है लेकिन आप इनको एम्बेसमेंट में क्यों डालते हैं? श्री पी॰एन॰ शिवा।

श्री बनारसी दास गुप्त : प्राइज़ मिला है, पुरस्कार नहीं मिला है। इससे साबित होता है कि सरकार कितना प्रचार हिन्दी का करती है।

SHRI P.N. SIVA: Sir, while I can understand the sentiments of the hon. Members against English language, can I get an assurance from the Minister that the Government would give equal importance to all the regional languages in the country?

SHRI JAGMOHAN: Since the question is in English, I would reply in English. Sir, whatever provisions of the Official Languages Act are there, we are following those provisions, whether it pertains to Hindi, Urdu or any other regional language.

श्रीमती जमना देवी बारुपाल : सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मैं कृषि विभाग की कमेटी की मैम्बर हूं। जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता इतनी कमजोर है कि वह हिन्दी भाषी लोगों को अंगूठा छाप समझते हैं चाहे वह हिन्दी में ग्रेजुयेट भले ही हों। मुझे कृषि विभाग के कर्मचारियों की एक चिट्ठी मिली।...**(व्यवधान)**... बीच में मत बोलो, थोड़ा बहुत जो मुझे बोलना आता है, वह बोलने दीजिये। उन्होंने मुझे यह शिकायत की कि जो लोग अनुवाद करने वाले हैं जो अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने वाले अधिकारी हैं उन लोगों का प्रोमोशन नहीं होता है, उनको पदोन्नति नहीं दी जाती है जबकि अंग्रेजी बोलने वालों को पांच साल के अन्दर पदोन्नति मिल जाती है। हिन्दी भाषा की कमेटी ने महामहिम राज्यपाल को एक रिपोर्ट दी जिसमें यह कहा गया कि इनकी पदोन्नति होनी चाहिये और धारा 8 के अन्तर्गत यह भी लिखा कि अगर कोई कॉडर तैयार नहीं किया गया है तो किसी भी व्यवस्था के तहत इन लोगो को पदोन्नति मिलनी चाहिये। वह लोग इतने रो रहे थे कि हम हिन्दी भाषी जो हिन्दी में अनुवाद करते हैं इन लोगों को और हमारी पत्नियों को ऐसा बोलते हैं और ऐसा गंदा व्यवहार करते हैं कि हमारी आत्मा रोती है इस राजभाषा के लिए बोलते समय। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह अंग्रेजी भाषा एक गुलामी की भाषा थी जो अंग्रेज जाते जाते छोड़ गये। हमारे जमाने में हमने अंग्रेजी को तूल नहीं दी और हम मर गए हमने बी॰ए॰ हिन्दी में किया, आज हमारी कोई इज्जत अंग्रेजी भाषा वालों के सामने नहीं

है। इसलिए हिन्दी भाषा को तूल दीजिये क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है। आपने मेरे दो शब्द सुने, इसके लिए आपका धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)

श्री संतोष बागड़ोदिया : सभापति महोदय, मैं अपना सवाल करने से पहले यह अनुरोध करना चाहता हूं चेयरमैन साहब से कि उन्हें तीसरा पुरस्कार राज्यसभा से दे दिया जाए क्योंकि दो पुरस्कार तो मिल गये हैं, तीसरे की बड़ी इच्छा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जहां-जहां आपको पहले से खबर होती है कि यहां शत-प्रतिशत काम हो गया है, वहीं इस्पेक्शन हो रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा है। मुझे यह जानना है कि दक्षिण के राज्यों में जैसे आन्ध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, पांडिचेरी है, यहां एक भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ। मैं मानता हूं, यह बधाई की बात है कि चेन्नई में हुआ और वहां शत-प्रतिशत हुआ, यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन बाकी स्टेट्स में क्या हुआ और वेस्ट बंगाल में क्या हुआ?

श्री जगमोहन : मैंने पहले आपको बताया कि जो चीज़ फिक्स्ड है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। अब साऊथ में जैसे चेन्नई में सब जगह हुई है। आप जिस जगह कहते हैं उस जगह करवा देता हूं, अभी करवा देता हूं।

श्री संतोष बागड़ोदिया : एक ही स्टेट में नहीं, पॉकेट्स में करवाइये।

श्री जगमोहन : स्केल फिक्स्ड है।...(**व्यवधान**)

Use of tobacco

*524. PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is fact that only the Legislatures of four States i.e. UP, Punjab, Goa and West Bengal have passed resolutions to adopt the Central legislation to discourage the use of tobacco and its products;

(b) whether his Ministry did not pursue the matter with the remaining States to fall in line; and

(c) if so, what have been their reactions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. RAJA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.